एक नजर में

जिला न्यायपालिका मंदसौर के न्यायालयों एवं अनुभागों में उपयोग हेतु लेखन सामग्री आपूर्ति के लिए सील बंद निविदाएं 27 फरवरी तक आमंत्रित

मंदसौर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि जिला न्यायपालिका मंदसौर के न्यायालयों एवं अनुभागों में उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखन सामग्री आपूर्ति के लिए इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता से सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी 222 .द्रश्चह्लह्नद्वस्रद्गह्य .द्गश्1 .द्बठ्ठ ई-टेण्डरिंग प्रणाली तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट 222 .द्रश्चद्ध .द्गश्1 .द्बठ्ठ एवं जिला न्यायालय मंदसौर की वेबसाईट 222 .स्रद्बह्यह्लह्नद्यष्ह्ल .ष्श्रह्वह्म्ह्ल .द्गश्1 .द्बठ्ठ/द्वड्डठ्ठस्रह्यड्डह्वह्म् पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता अपनी निविदाएं सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, मंदसौर में 27 फरवरी 2026 को शाम 05:00 बजे तक, आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं 28 फरवरी 2026 को दोपहर 02:00 बजे समिति के समक्ष निविदाकर्ता / प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

जिला पंचायत सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक 5 मार्च को

मंदसौर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुकूल जैन द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत सामान्?य प्रशासन स?थायी समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार की अध्यक्षता में 5 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष मे आयोजित होगी।

जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक 5 मार्च को

मंदसौर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुकूल जैन द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार की अ?यक्षता में 5 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष मे आयोजित होगी।

सीएमओ सुमन ने नगर पालिका के राजस्व अमले की बैठक ली, वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश

मंदसौर। मुख्य नगर पालिका प्रेम कुमार सुमन ने कल सीएमओ कक्ष में नगर पालिका की राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु राजस्व शाखा के सहायक राजस्व निरीक्षको की बैठक ली। बैठक में सीएमओ सुमन ने कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026 समाप्त हो रहा है शासन के निर्देशों के अनुसार लक्ष्य बनाकर कर्मचारीगण अपने-अपने प्रभार के वार्डों में राजस्व वसूली के कार्यो में और तेजी लाये, जो जलकर उपभोक्ता जल कर की राशि जमा नहीं कर रहे उन्हें अपनी राशि जमा कराने के लिए कहे और आवश्यक होने पर नल कनेक्शन विच्छेद की कार्यवाही करें। संपत्तिकर की वसूली के कार्यो में लगे कर्मचारी बड़े बकायादार की सूची बनाये और उन्हें सूचना पत्र जारी करें और कर जमा नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही जोकि नगर पालिका के नियमों के अनुसार की जाती है वह करें। हर हाल में 31 मार्च के पूर्व वसूली बढ़ना चाहिए बैठक में प्रभारी राजस्व अधिकारी मंगेश राव नवले सहित कई कर्मचारी भी उपस्थित थे।

रोजगार मेले में 460 युवक-युवतियों ने कराया पंजीयन

▶ 347 का हुआ प्राथमिक चयन

मंदसौर। जिले में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय एस.एन. उदिया महाविद्यालय, गरोठ (जिला मंदसौर) में जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के संयुक्त समन्वय से युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिस मेला आयोजित किया गया।

रोजगार मेले में कुल 460 युवक एवं युवतियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से मेले में उपस्थित 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा 347 युवक-युवतियों का प्राथमिक स्तर पर चयन किया गया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा नगर परिषद गरोठ द्वारा हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत चेक वितरण भी किया गया। मेले में स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी देने हेतु स्टॉल लगाए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव द्वारा किया गया। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया गया।

कक्षा 10वीं-12वीं मूल्यांकन में प्रतिदिन 30 से अधिक कॉपियां न दी जाएं : शिक्षक संघ की मांग

मंदसौर। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल आंजना एवं जिला मीडिया सह प्रभारी लोकेंद्र भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ एवं प्रांतीय महामंत्री राकेश गुप्ता और प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री विनोद कुमार पुनी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित कर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण मांग उठाई है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि संघ को संकेत प्राप्त हुए हैं कि इस वर्ष मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिदिन 30 के स्थान पर लगभग 45 उत्तरपुस्तिकाएं प्रदान की जा सकती हैं। संघ का मानना है कि यदि मूल्यांकनकर्ताओं को आवश्यकता से अधिक कॉपियां दी जाएंगी तो उन्हें जल्दबाजी में मूल्यांकन करना पड़ेगा, जिससे त्रुटियों की संभावना बढ़ सकती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव सीधे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर पड़ सकता है।

संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अत्यंत संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। इसमें एकाग्रता, धैर्य और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि मूल्यांकनकर्ता पर अनावश्यक कार्यभार डाला जाएगा तो वह पूर्ण निष्पक्षता एवं सावधानी के साथ कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे विद्यार्थियों के साथ अन्याय होने की आशंका बढ़ जाती है।

अध्यक्ष एवं महामंत्री ने मांग की है कि गत वर्ष की व्यवस्था के अनुसार ही प्रतिदिन अधिकतम 30 कॉपियां प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को दी जाएं तथा पर्यवेक्षक के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से उत्तरपुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इससे मूल्यांकनकर्ता मानसिक रूप से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकेंगे और विद्यार्थियों के हितों की पूर्ण रक्षा सुनिश्चित होगी।

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने आशा व्यक्त की है कि मंडल विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगा, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके।

किसान विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार हुंकार

मंदसौर। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल किसान महाचौपाल में मंदसौर जिले से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में जिले के विभिन्न ब्लॉकों सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में जोरदार आक्रोश व्यक्त किया।

महाचौपाल को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर तीखा प्रहार किया।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि यह ट्रेड डील देश के अन्नदाता किसानों के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह समझौता किसानों के हितों की अनदेखी कर विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मंदसौर से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि किसानों की आवाज को दबाने का हर प्रयास लोकतांत्रिक तरीके से विफल किया जाएगा और पार्टी किसानों के हितों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।

एक नजर | ग्राम पंचायतों में न्यूनतम वेतन का भुगतान को लेकर

नल चालकों और पंप संचालकों ने ज्ञापन सौंपा

दलोदा/नाहरगढ। नल जल चालक के प्रदेश अध्यक्ष जानकी लाल धाकड़ के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय मे दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई की मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नल जल योजना करीबन 20 वर्षों से कार्यरत है। जिसमें नल चालक एवं पंप आपरेटर के रूप में 20 वर्षों से कर्मचारी कार्य कर रहें है।

परन्तु ग्राम पंचायतों में इनका पद नहीं होने के कारण इनको शासन की योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। मुख्य मंत्री से निवेदन है कि ग्राम पंचायतो में कार्यरत नल चालको को न्युनतम वेतन का लाभ दिया जाये। वर्तमान में ग्राम पंचायतों में कार्यरत नल चालको को न्युनतम वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायतों में नल जल योजना को फण्ड नहीं होने के कारण इन कर्मचारीयों को शासन की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में नल चालको को 2000 से 5000 रुपए माह का वेतन दिया जाता है। वो भी साल में एक बार। जबकि नल चालक सुबह 4 बजे उठकर

जनता की सेवा में तत्पर रहता है. और जनता की सेवा करता है। सरकार ने कई योजनाएँ चलाई जिसमें सरकार ने जो नल चालको की अनदेखी करी जबकि जल ही जीवन है, और कर्मचारी जो ऐसी भीषण गर्मी में बारिश में नल जल की जनता की सेवा करते है। सरकार का सबसे महत्वपुर्ण कार्य है कि जनता तक शुद्ध जल पहुंचे।

नल जल चालको की यह मांग

01 श्रम विभाग द्वारा घोषित न्युनतम वेतन का लाभी दिया जाये।

02 नल जल योजना में पंचायतों में कार्यरत करते समय सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु एवं दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में शासन द्वारा बीमा कराया जाये।

03 दो वर्ष के कार्यकाल पुर्ण करने वाले को ग्राम पंचायत का नियनित कमचारी माना जावे।

नल जल चालको को शातन के आदेश अनुसार शासन द्वारा निर्धारित न्युनतन वेतन दिये जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करे।

नीमच

एक नजर में

भरभड़िया रस्सी फैक्ट्री के बाहर महिला मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, 467 की जगह 292 रुपये देने का आरोप

भरभड़िया। क्षेत्र स्थित रस्सी फैक्ट्री के बाहर आज महिला मजदूरों ने जोरदार हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर महिलाओं का आरोप है कि उन्हें तय 467 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के स्थान पर मात्र 292 रुपये ही दिए जा रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि इस संबंध में पहले भी श्रम विभाग में शिकायत की गई थी। उस समय श्रम अधिकारी द्वारा एक माह के भीतर बकाया एरियर का भुगतान कराने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया। आक्रोशित मजदूर महिलाएं बड़ी संख्या में फैक्ट्री गेट पर एकत्रित हुईं और नारेबाजी करते हुए अपने हक की मांग की। उनका कहना है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन को 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर बैठकर चक्काजाम करेंगी। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हलचल तेज हो गई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है।

लकड़ी से मारपीट कर ऊंगली तोड़ने तीन आरोपीयों को 6-6 माह का कारावास

नीमच। श्रीमान् अभय प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट उसकी ऊंगली तोड़ने वाले तीन आरोपीगण (1) पदम् कुमार पिता रामेष्वर खण्डेलवाल, उम्र 65 वर्ष, (2) लवश्री पिता पदम् कुमार खण्डेलवाल, उम्र-36 वर्ष, दोनो निवासी-टीचर कॉलोनी, नीमच और (3) राहुल पिता ओमप्रकाष खण्डेलवाल, उम्र-35 वर्ष, निवासी-14/4 विकास नगर, नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10.04.2018 को दिन के लगभग 04:30 बजे राधाकृष्ण मार्केट, एल.आई.सी. रोड़, नीमच की हैं। घटना दिनांक को फरियादी रमेष पारिख उसकी दुकान के बहार खड़ा होकर अतिक्रमण हटाने के लिये आये हुवे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ चर्चा कर रहा था। इसी दौरान वहीं उपस्थित आरोपीगण को यह शंका हुई की वह नगर पालिका के कर्मचारियों से उनके बारे में चर्चा कर रहा हैं, तो इसी बात को लेकर वह सभी फरियादी के साथ विवाद करते हुवे एकमत होकर उसके साथ मारपीट करने लगे और आरोपी राहुल ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर मारना चाहा जिसे रोकने के लिये फरियादी ने हाथ आगे किया तो उसके हाथ की ऊंगली में गंभीर चोट आकर फ्रैक्चर हो गया था। घटना स्थल पर उपस्थित महेष पाराषर व अन्य लोगो ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहां से चले गये थे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट लिखाई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चष्मदीद साक्षीयों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

कलेक्टर ने किया बरलई में उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को नीमच जिले के उपखण्ड मनासा के भ्रमण दौरान गांव बरलई में उप स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया और सी.एच.ओ. से उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध दवाईयों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर उप स्वास्थ्य केंद्र के नियमित खुलने, नि:शुल्क दवाईयां वितरण, स्वास्थ्य स्टाफ की नियमित उपलब्धता, उपस्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर सी.एच.ओ.श्री प्रेमशंकर से आयुष्मान कार्ड बनाने और सम्पूर्ण टीकाकरण की जानकारी भी ली। इस मौके पर एसडीएम सुश्री किरण आंजना, जनपद सीईओ श्री आरीफ खान सहित अन्य अधिकारी तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कलेक्टर ने किया आंगनवाडी केंद्र बरलाई का निरीक्षण

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को मनासा क्षेत्र के भ्रमण दौरान गांव बरलई में आंगनवाडी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आंगनवाडी संचालित पाई गई और 9 बच्चें उपस्थित पाए गये। कार्यकर्ता ने अवगत कराया कि शेष दर्ज बच्चें स्कूल गये है। कलेक्टर ने कार्यकर्ता से स्कूल में बच्चों के प्रवेश की जानकारी ली। उन्होने कहा, कि कोई भी बच्चा शाला में दाखिलें से वंचित ना रहे। सभी बच्चों का अभिभावकों से संपर्क कर शाला में प्रवेश दिलाए। कलेक्टर ने आंगनवाडी के बच्चों के लिए संचालित शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों की जानकारी ली और बच्चों से वर्कबुक लेकर उसका अवलोकन किया। कार्यकर्ता द्वारा बच्चों की वर्कबुक में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियां नहीं करवाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कार्यकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश एसडीएम को दिए है। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर आंगनवाडी केंद्र व स्कूल में बच्चों को गर्म पका भोजना मध्यान्हन भोजन नियमित वितरण एवं भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली।

नीमच में बस मालिकों ने बांधे काले झंडे, 2 मार्च से हड़ताल की चेतावनी

▶ नई परिवहन नीति का विरोध

नीमच। मध्य प्रदेश सरकार की नई परिवहन नीति के विरोध में प्रदेशभर के बस संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नीमच के निजी बस स्टैंड पर बस यूनियन के सदस्यों ने नीति को बस मालिकों के लिए विनाशकारी बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बसों पर काले झंडे बांधकर सरकार के फैसले के प्रति असहमति जताई।

बस यूनियन के संरक्षक मुकेश गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा परिवहन नीति में किया गया बदलाव बस मालिकों की कमर तोड़ने वाला है। नई व्यवस्था के तहत सरकार करीब आठ बड़ी कंपनियों को बस संचालन का जिम्मा सौंपने की तैयारी में है, जिसके बाद सभी बसें इन कंपनियों के अधीन हो जाएंगी।

सबसे विवादित बिंदु 3 प्रति किलोमीटर की लीज राशि है, जो बस मालिकों को इन कंपनियों को चुकानी होगी। बस संचालकों का कहना है कि अब तक वे स्वतंत्र रूप से विभाग के नियमों के तहत बसों का संचालन कर रहे थे। नई नीति उन्हें कंपनियों का गुलाम बना देगी और उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह छिन जाएगी। इस नीति से छोटे बस मालिक पूरी तरह बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएंगे।

यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार कर इस नीति को वापस नहीं लिया गया या राहत प्रदान नहीं की गई, तो आगामी 2 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस आंदोलन के तहत नीमच जिले की करीब 250 बसों सहित पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहेगा।

फिलहाल बस मालिकों ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो प्रदेश के परिवहन इतिहास की यह सबसे बड़ी हड़ताल होगी।

एक नजर | गांधी सागर बैकवॉटर में फिर सक्रिय रेत माफिया

कार्रवाई के बाद और बेख़ौफ़, रात-दिन चल रहा अवैध खनन

नीमच। गांधी सागर बैकवॉटर क्षेत्र में पूर्व में हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी अवैध रेत खनन पर लगाम नहीं लग पाई है। कुकड़ेश्वर और रामपुरा थाना क्षेत्र के राजपुरा, नलवा ढाणी, कुंडला और खानखेड़ी गांवों के आसपास इन दिनों रेत माफिया खुलेआम सक्रिय बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात और तड़के सुबह नदी से मशीनों (फाइटर) के जरिए रेत निकाली जाती है और ट्रैक्टरों से आसपास के गांवों, कुकड़ेश्वर, मनासा सहित मांग वाले क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार माफिया इतने बेख़ौफ़ हो चुके हैं कि खुलेआम यह दावा करते हैं कि ऊपर तक सेटिंग होने से उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों में चर्चा है कि पूर्व में हुई कार्रवाई केवल औपचारिक थी, जिससे माफियाओं का मनोबल और बढ़ गया है।

रातभर दौड़ते ट्रैक्टर, तेज आवाज से ग्रामीण परेशान- बैकवॉटर के आसपास बसे गांवों के लोगों का कहना है कि रात-दिन तेज रफ्तार से दौड़ते रेत से भरे ट्रैक्टरों से सड़क सुरक्षा खतरे में है। ट्रैक्टरों में

तेज आवाज में डीजे पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जिससे खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये वाहन अन्य राहगीरों को साइड तक नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

माफियाओं का आखिर किसका संरक्षण -ग्रामीणों में चर्चा है कि माफिया खुद कहते फिरते हैं कि धारा 151 हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, हम बड़ी रकम देकर काम करते हैं। लोगों का सवाल है कि यदि यह सब सच है तो क्या प्रशासन माफियाओं से डरा हुआ है या उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

बाहरी ड्राइवरों से चल रहा अवैध रेत कारोबार

गांधी सागर बैकवॉटर में बड़े फाइटर के पीछे पंप-पाइप लगी छोटी नाव से नदी से रेत खींचकर एक फाइटर में करीब 10 ट्रॉली तक भरी जाती है। भारी वजन से नाव डूबने की स्थिति में पहुंचती है, फिर भी चालक जोखिम लेकर किनारे लाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार फाइटर चलाने वाले अधिकांश चालक उत्तरप्रदेश-बिहार के बाहरी व्यक्ति हैं, जिनके कोई स्थानीय दस्तावेज नहीं हैं। लोगों को आशंका है कि संदिग्ध व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से अवैध खनन कराया जा रहा है।